(5)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 01/2016

अनवानः– राजस्थान राज्य जरिये थाना अधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री विनोद कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति स्वामी सा0 बीरवाना थाना राजियासर

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री सोहन सिंह विर्क अधिवक्ता अप्रार्थी।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

–:निर्णयः–

दिनांकः–11.9..2017

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला द्वारा प्रस्तुत मुकदमा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.2.16 को वृताधिकारी वृत संगरिया को सूचना मिली कि थाना हाजा पर आज दिनांक 03.02.16 को मन एसएचओ मय स्टाफ अप्रार्थी की गाडी बौलेरो कैम्पर नं.0 आरजे 13 जीबी 2682 में प्लास्टिक के तीन जरकन 60–60 लीटर, पांच ड्रम प्लास्टिक के 200–200 लीटर व 4 ड्रम प्लास्टिक के 100–100 लीटर के हैं जिनमें कुल 1700 लीटर लीटर अवैध डीजल को डिटेन कर थाना परिसर में खडा किया। चालक के पास डीजल का कोई कागजात व परिवहन का कोई लाइसेंस व परमिट नहीं है। दौराने जांच कोई लाईसेंस या परमिशन नहीं थी। वृताधिकारी मय स्टाफ के रवाना होकर पुलिस थाना पहूंचा तो थाना परिसर में खडी बोलेरो कैम्पर बरंग सफेद नं. आरजे 13 जीबी 2682 जिसके पीछे डाला में तीन जरकन 60–60 लीटर, पांच ड्रम प्लास्टिक के 200–200 लीटर व 4 ड्रम प्लास्टिक के 100–100 लीटर के हैं जो अब नाप करने पर 1700 लीटर हुई। चालक विनोद कुमार के पास डीजल परिवहन का कोंई कागजात पेश नहीं किया व डीजल पंजाब से लाना बताया , जो राजस्थान सरकार की अधिसूचना के अनुसार लाईसेंसधारी के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा 1000 लीटर से अधिक डीजल कब्जा में रखना व परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में मु0नं0 26/16 उक्त दर्ज धारा 3/7 ई.सी एक्ट दर्ज कर तफतीश शुरू की गयी। रिपोर्ट अर्न्तगत धारा 6 ए ई.सी. एक्ट पेश कर निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में उक्त जरीकन,ड्रमों जब्त वजह सबूत में 1700 लीटर डीजल के निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया।

उक्त प्रकरण प्रथमतः श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में दिनांक 26.2.2016 को पेश हुआ तत्पश्चात् प्रकरण इस न्यायालय को स्थानान्तरण हुआ और दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये व अपना जबाब प्रस्तुत किया गया। जबाब में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मुकदमा बिल्कुल झूठे व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर बनाया है। उक्त डीजल कृषकगण जयपाल, संतलाल, इन्द्राज व लीलाधर सा. बीरमाना का खरीद शुद्धा है। जो राज्यसरकार से निर्धारित मात्रा से कम है। उक्त डीजल कृषकगण अपनी कृषि प्रयोजन हेतु खरीद कर लाये थे तथा उक्त डीजल का अबैध रूप से बेचान हेतु नहीं लाये थे।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

खरीद बिल की कापी सलंग्न की है। डीजल खरीद के बिल की फोटो प्रतियां वृताधिकारी संगरिया व उसके उपरांत जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रा0पत्र 23.2.16 को प्रस्तुत कर निष्पक्ष जांच हेतु प्रा.0पत्र प्रस्तुत किया था । प्रार्थी निर्दोष है झूठा मुकदमा बनाया है। अतः कार्यवाही ड्राप कर जब्त डीजल कृषकगण को दिये जाने के आदेश फरमावें।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा बिना परमिट व लाईसेंस के जब्त शुद्धा डीजल का बिना किसी बिल के अवैध परिवहन किया गया है। इसलिए डीजल को राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में बताया कि पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा बनाया है। जबकि अप्रार्थी से जब्त डीजल कृषकगण का कृषि कार्यो के लिए लाया गया था व प्रत्येक कृषक का 1000 लीटर से कम डीजल था। प्रार्थी किसी भी प्रकार से डीजल का अवैध परिवहन नहीं करता है। इसलिए कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अंकित है कि जब्ती के समय अप्रार्थी द्वारा जब्त डीजल के संबंध में कोई खरीद के बिल व परिवहन करने का परमिट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि अप्रार्थी ने अपने जबाब में कथन किया है कि उसके द्वारा उक्त डीजल कृषकगण की कृषि कार्य के लिए डीजल लाया गया था । अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब में अंकित तथ्य पश्चातवर्ती विचार (After Thought) प्रतीत होते हैं। साथ ही अप्रार्थी के पास जब्त डीजल का बिल नहीं होना व परिवहन का कोई लाईसेंस ना होना भी अवैध कृत्य है।

अतः अप्रार्थी से जब्त शुद्धा 1700 लीटर डीजल को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्त शुद्धा डीजल की राशि 79500/– चा0नं0 0010785045 दिनांक 02.5.16 से राजकोष में जमा कराये जा चुके हैं। जब्त शुद्धा उक्त जरीकन व ड्रमों को जरिये नीलामी नीलाम कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने हेतु थानाधिकारी गोलूवाला को आदेश दिये जाते हैं । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ व थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.9.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़